



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07082025-265258
CG-MH-E-07082025-265258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]
No. 535]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 4 अगस्त, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/253.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में,-
 - विनियम 8 में,
 - उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) यह डिपॉजिट (जमाराशि) उसी तरह रखा जाएगा, जिस तरह से रखने के लिए बोर्ड कहे।”

ii) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(3) इस डिपॉजिट (जमाराशि) पर उस निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) के पक्ष में लियन मार्क करवाया जाएगा, जिसे इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार निवेश सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो:

परंतु यह कि यदि निवेश सलाहकार विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसी ही किसी दूसरी व्यवस्था के तहत मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाहियों की वजह से देय रकम अदा नहीं करता है, तो ऐसे में वह रकम उस डिपॉजिट (जमाराशि) में से निकाली जा सकेगी।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./268/2025-26]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778, द्वारा 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-
 - क. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - ख. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
 - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - घ. 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा
 - ङ. 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा
 - च. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11, द्वारा
 - छ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/34, द्वारा
 - ज. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - झ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
 - ञ. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
 - ट. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा

- ठ. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
- ड. 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154, द्वारा
- ढ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/169, द्वारा
- ण. 16 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/219, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th August, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/253.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely: —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 –

I. In Regulation 8,

- i) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

“(2) The deposit shall be maintained in such a form or manner as may be specified by the Board.”

- ii) after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(3) Such deposit shall be marked as lien in favour of a body or body corporate recognised by the Board for the purpose of administration and supervision of investment advisers in accordance with regulation 14 of these regulations:

Provided that the deposit shall be available for utilization in case the investment adviser fails to pay the dues emanating out of arbitration and conciliation proceedings, if any, under the Online Dispute Resolution Mechanism or such other mechanism as may be specified by the Board.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./268/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, -
 - a. 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;
 - b. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023;

- c. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
- d. 3rd July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22;
- e. 11th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04;
- f. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11;
- g. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/34;
- h. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;
- i. 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;
- j. 07th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121;
- k. 3rd July, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137;
- l. 17th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146;
- m. 9th October, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/154;
- n. 26th April, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/169;
- o. 16th December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/219.